Progressive & Proportional Taxes

कर की दरों के आधार पर कर को आनुपातिक या प्रगतिशील कहा जाता है। आनुपातिक कर (Proportional tax) वे कर है जो सभी प्रकार के आयों पर समान दर से लगाए जाते है तथा कर की दर सभी करदाताओं के लिए समान होती है।

Tax in which the rate of tax remains constant though the tax bas changes are called proportional tax.

आनुपातिक कर में धनी तथा गरीब के बीच कर की दर के आधार पर विभेद नहीं किया जाता है। धनी तथा गरीब वर्ग के लोगों के लिए कर की दरें समान होती है। आनुपातिक कर पर आय घटने बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आनुपातिक कर के अन्तर्गत marginal rate of taxes में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए Tax function के आय के सापेक्ष में First derivation शून्य के बराबर हो जाता है। इसे हम नीचे के सूत्र से स्पष्ट कर सकते है —

$$\Delta\left(\frac{dR}{dY}\right) = 0 \quad \text{---- (1)}$$

यहाँ R = Tax Rate

Y = Income

इसप्रकार ऊपर के सूत्र के अनुसार जब कर की सीमान्त दर में कोई परिवर्तन नहीं होता हैं तो इस कर को आनुपातिक कर कहते है।

प्रगतिशील कर (Progressive tax) वह कर है जिसकी दर आय अथवा सम्पत्ति में वृद्धि होने के साथ

आय बढ़ती बढ़ती जाती है। इस प्रणाली में जिस व्य. की आय जितनी अधिक होती है उससे अधिक कर वसूल किया जाता है। इस प्रकार के करारोपण का भार धनी वर्ग पर अधिक पड़ता है और गरीब वर्ग पर कम। इसमें कर की दरों को निश्चित करने के लिए आय को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है।

The taxes in which the rate of tax increases as the tax base increases are called Progressive taxes.

प्रगतिशील कर प्रणाली के अन्तर्गत कर के सीमान्त दर में धनात्मक परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप Tax rate function (आय सापेक्ष में) का first derivative शून्य से अधिक होता है। इसे निम्नांकित सूत्र से स्पष्ट कर सकते है -

$$\Delta\left(\frac{dR}{dY}\right) > 0 \quad \text{---} \quad \text{(ii)}$$

Where $dY > 0$

प्रगतिशील कर के अन्तर्गत बढ़ती हुई आय से बढ़ती हुई मात्रा में कर को प्राप्त किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि A Progressive tax increasing proportional of rising income और इस प्रकार करारोपण के अन्तर्गत $\Delta T > \Delta Y$ की स्थिति रहती है। यहाँ T = tax, Y = Income

आनुपातिक तथा प्रगतिशील करों को निम्नां चित्रों से स्पष्ट कर सकते है —

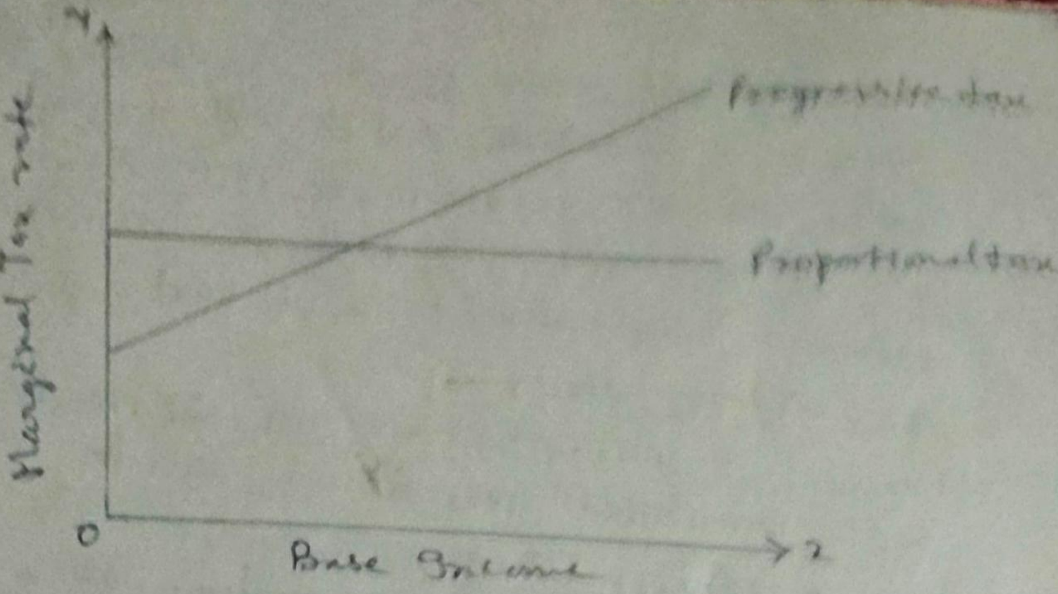

Figure 1

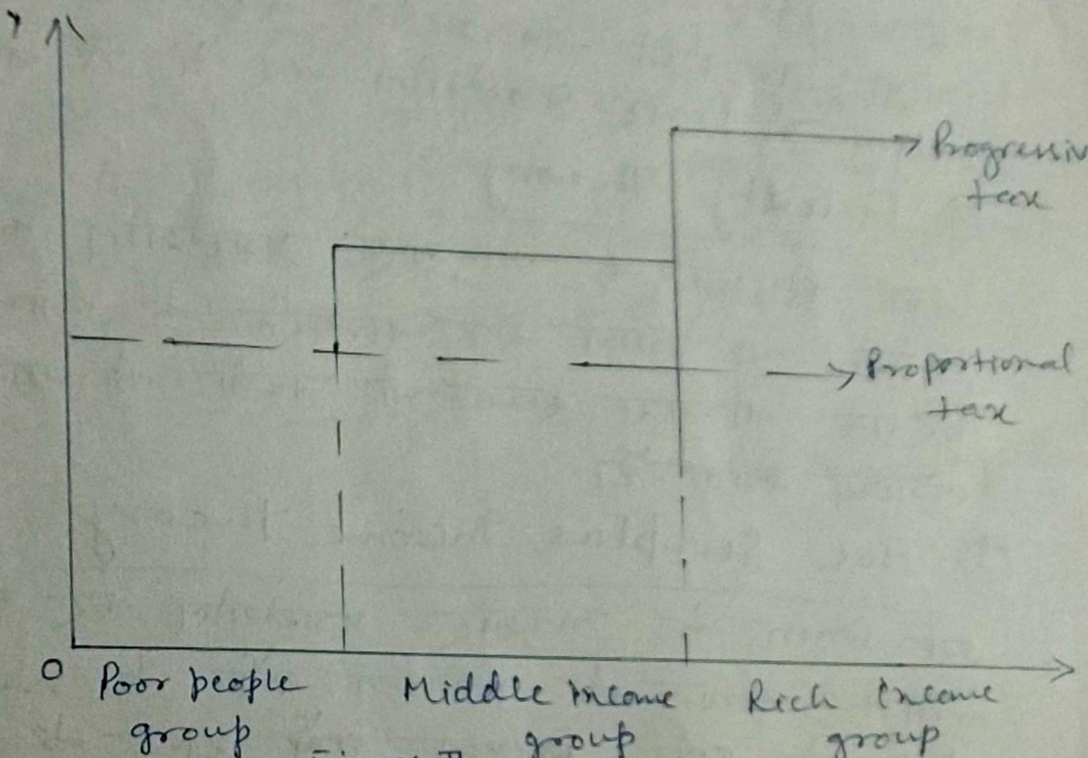

Figure II

उपर्युक्त चित्र 1 से स्पष्ट है कि आय के बढ़ने के साथ साथ प्रगतिशील करारोपण प्रणाली के अन्तर्गत कर का दर बढ़ता रहता है जबकि आनुपातिक करारोपण के अन्तर्गत आय परिवर्तन के बावजूद भी कर का दर स्थिर है।

प्रगतिशील का आशय
मिलता था को स्पष्ट है कि प्रगतिशील कर की तरह प्रणाली के अन्तर्गत ऊँची आय वाले व्यक्तियों को अधिक कर की व्यवस्था के लिए भिन्न-भिन्न दर की व्यवस्था है। जबकि आनुपातिक कर प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न आय अर्जित करने वाली व्यवस्थाओं के लिए कर की दर समान है।

प्रगतिशील कर को सैद्धान्तिक आधार पर निम्नलिखित सिद्धान्तों ने समर्थन किया है।

① Sacrifice Theory

इस सिद्धान्त के अनुसार करारोपण के न्याय की प्राप्ति तब होगी जब प्रत्येक करदाताओं को समान त्याग करना पड़े। यह प्रगतिशील कर में ही संभव हो सकती है।

② Faculty Theory

इस सिद्धान्त के अनुसार प्रगतिशील कर उचित है। क्योंकि यह आय एवं सम्पत्ति के आधार पर तथा करदान योग्यता सम्बन्धी तथ्यों को जानने के बाद लगाया जाता है।

③ The Surplus Income theory

इस सिद्धान्त के अनुसार प्रगतिशील कर उचित है क्योंकि समाज के विभिन्न वर्गों के surplus income को इसके द्वारा ~~विभिन्न वर्गों~~ राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए लिया जाता है।

④ The Social Importance theory

इस सिद्धान्त के अनुसार प्रगतिशील कर उचित है क्योंकि इसके द्वारा समाज में न्यायपूर्ण कर के भार का वितरण होता है। प्रगतिशील कर का एक सामाजिक

महत्व है।

(5) The Social Political theory

यह सिद्धान्त भी प्रगतिशील कर का समर्थन करता है। क्योंकि इससे धन एंव आय की असमानता दूर होती है तथा सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभाव अनुकूल पड़ता है।

इसप्रकार उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आनुपातिक कर की तुलना में प्रगतिशील कर उत्तम है। किन्तु किसी भी अर्थव्यवस्था में संतोषजनक प्रणाली यह है जिसके अन्तर्गत प्रगतिशील तथा आनुपातिक दोनों ही करों का समुचित एंव संतोषजनक समन्वय किया गया है, भारतवर्ष में प्रगतिशील कर जैसे आय कर तथा आनुपातिक कर जैसे बिक्री कर दोनों का समावेश उत्तम कर प्रणाली है।

———×———

Dr Sandhya Rai